



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.—496116]

Email – dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone&Fax :07766-266599,07766-266739

क्रमांक /मा.चि./1804
प्रति,

धरमजयगढ़, दिनांक 16.08.2021

उप प्रबंधक,
गोवा तमनार ट्रोशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.
पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.)

विषय :— Diversion for forest land for non- forest purpose under forest Conservation Act.1980 Proposed for Construction of 765 KV/DC Dharamjaigarh – Raigarh (Tamnar) pool Transmission line under three forest division of Chhattisgarh State for “ Additionl System for Power Evacuation from Generation Projects pooled at Raigarh (Tamnar) pool” area 137.014 ha. – regarding

संदर्भ :— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्र./ FC-II/IROCH-02/2021-NGP/18 दिनांक 31.03.2021
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, अटल नगर, रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र./व.प्रा./प्रबंध-492/118 दिनांक 16.08.2021

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा कोरबा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के. व्ही. धरमजयगढ़— रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक (XIII) के परिपालन में संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा 10 वर्षीय विस्तृत वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन योजना का अनुमोदन कर योजना की लागत राशि 322.50 लाख (रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल हेतु क्रमशः 54.50, 138.00 एवं 130.00 लाख) वर्तमान दरों पर है। परियोजना में देरी होने से समय लागत बढ़ेगी, जिसमें प्राईस इन्डेक्स के हिसाब से वृद्धि होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो भी लागत आयेगी वन प्रस्तावकों को वन विभाग में एकमुश्त जमा करनी होगी, जिससे मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके लेख कर राशि 322.50 लाख को एकमुश्त जमा कराने हेतु लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार राशि 322.50 लाख छ0ग0 राज्य कैम्पा खाते में ई—पोर्टल के माध्यम से जमा कर मूल पावती प्रस्तुत करें। ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (2) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, अटल नगर, रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (3) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (4) वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.—496116]

Email – dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone&Fax :07766-266599,07766-266739

क्रमांक /मा.चि./1806
प्रति,

धरमजयगढ़, दिनांक 16.08.2021

उप प्रबंधक,
गोवा तमनार ट्रोशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.
पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.)

विषय :— Diversion for forest land for non- forest purpose under forest Conservation Act.1980 Proposed for Construction of 765 KV/DC Dharamjaigarh – Raigarh (Tamnar) pool Transmission line under three forest division of Chhattisgarh State for “ Additionl System for Power Evacuation from Generation Projects pooled at Raigarh (Tamnar) pool” area 137.014 ha. – regarding

संदर्भ :— 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्र./ FC-II/IROCH-02/2021-NGP/18 दिनांक 31.03.2021
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, अटल नगर, रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र./व.प्रा./प्रबंध-492/117 दिनांक 16.08.2021

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा कोरबा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के. व्ही. धरमजयगढ़— रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक (XII) के परिपालन में संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा एवीफौना योजना का अनुमोदन कर योजना की लागत राशि 33.00 लाख (रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल हेतु क्रमशः 5.51, 14.14 एवं 13.35 लाख) वर्तमान दरों पर है। परियोजना में देरी होने से समय लागत बढ़ेगी, जिसमें प्राईस इन्डेक्स के हिसाब से वृद्धि होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो भी लागत आयेगी वन प्रस्तावकों को वन विभाग में एकमुश्त जमा करनी होगी, जिससे मूल्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके लेख कर राशि 33.00 लाख को एकमुश्त जमा कराने हेतु लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार राशि 33.00 लाख छ0ग0 राज्य कैम्पा खाते में ई—पोर्टल के माध्यम से जमा कर मूल पावती प्रस्तुत करें। ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (2) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, अटल नगर, रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (3) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- (4) वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल